

अन्त्य-परीक्षा के लिए शव भेजते समय उपयोग में लाया जानेवाला चालान
(नियम 207)

थाना केस संख्या, तिथि, धारा,
दैनिकी प्रविष्टि

सेवा में,

कृपया शव की अन्त्य-परीक्षा कर विहित प्रपत्र में अपनी रिपोर्ट दें। यह विशेष रूप से स्मरण रखा जाए कि परीक्षा शरीर के सभी अंगों की की जाय। शव का विवरण नीचे दिया गया है—

नाम, पिता का नाम और निवास स्थान, यदि मालूम हो	स्त्री या पुरुष और उम्र	कहां से लाया गया			शव के साथ जानेवाले सिपाहियों और सम्बन्धियों के नाम	तिथि और समय			चिकित्सा-अधिकारी के सामने किसने पहचान की	शव के साथ भेजे गए बत्त और वस्तुएं	अभ्युक्ति
		ग्राम	धाना	शव-गृह से दूरी		गांव से भेजने की	शव-गृह में पहुंचने की	अन्त्य-परीक्षा की			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

केस का पूरा इतिहास, जो अभी तक मालूम हुआ है, इस प्रकार है और इसके साथ पु० ह० प्रपत्र सं० 38 में मृत्यु-समीक्षा की प्रतिलिपि भेजी जाती है—

स्थान, , तिथि,

अन्वेषण-अधिकारी का हस्ताक्षर

अनुसूची 47, प्रपत्र सं० 137

आ० ह० प्रपत्र सं० 38 [नियम 199 (ख)]

मृत्यु-समीक्षा-रिपोर्ट

(जिला अपराध प्रशाखा के लिए)

1. थाना-केस-निर्देश, शव की जाँच की तिथि और समय।	
2. मृतक का नाम और उपनाम तथा पिता का नाम, निवास, स्थान, उम्र लगभग तथा लिंग।	
3. जहाँ शव पाया गया वह स्थान, समय और तिथि।	
4. शव का विवरण और वह किस स्थिति में पाया गया। लगभग ऊँचाई, पहचान-चिह्न, आंखों के रंग और बाल आदि का उल्लेख हों।	
5. शरीर पर दिखाई पड़नेवाली चोट और घाव वा अन्य प्रकार के चिह्न तथा वह या वे हथियार जिससे ये किए गए प्रतीत हों।	
6. वे परिस्थितियाँ, यदि कोई हों, जिनसे किसी कुटकर्म का सन्देह उत्पन्न हो।	
7. शव पर या उनके निकट पाये गए वस्त्र आभूषण, हथियार और अन्य सामग्रियों की सही सूची और विवरण।	
8. मृत्यु के कारण के संबंध के गवाहों में राय और उनके हस्ताक्षर।	
9. मृत्यु के कारण के संबंध में आरक्षी-अधिकारी की राय और उसका हस्ताक्षर।	

ध्यान :- शव की अन्त-परीक्षा के लिए भेजते समय इसे शव के साथ भेजा जाए।